एलफिंस्टन मेटल रोलिंग मिल्स

बनाम

कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बॉम्बे

5 मई 2004

[एस. राजेंद्र बाबू, सीजे, और जी.पी. माथुर, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944

प्रथम अनुसूची टैरिफ आइटम संख्या 264(1)(1ए) और 264(2) कॉपर सी शीट और सर्कल, कॉपर वायर बार, कॉपर वायर रॉड और कास्टिंग और कॉपर स्लैब और बिलेट्स-पुराने तांबे के स्क्रैप और वायर बार के स्क्रैप से निर्मित-अधिसूचना संख्या 74/65-सीई दिनांक 1.5.1965 और 119/66-सीई दिनांक 16.7.1966 के तहत छूट के लिए दावा, जब तक स्क्रैप और अपशिष्ट को शुल्क भुगतान किए गए सामान के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उन्हें नहीं माना जा सकता है। इसलिए-ट्रिब्यूनल ने दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

कारण बताओ नोटिस-सीमा वर्गीकरण को अंतिम रूप देने की तिथि से ही लागू होगा।

अपीलकर्ता, टैरिफ आइटम 26ए(2) के अंतर्गत आने वाली तांबे की शीट और सर्कल, टैरिफ आइटम 26ए(1ए) के अंतर्गत आने वाले तांबे के तार की छड़ें, तांबे के तार की छड़ें और कास्टिंग और टैरिफ आइटम 26ए(1) के अंतर्गत आने वाले तांबे के स्लैब और बिलेट्स के निर्माता ने दावा किया संशोधित अधिसूचना संख्या 74/65-सीई दिनांक 1.5.1965 और अधिसूचना संख्या 119/66-सीई दिनांक 16.7.1966 के तहत उत्पाद शुल्क से छूट, इस आधार पर कि इन वस्तुओं एफ का निर्माण पुराने तांबे के स्क्रैप और स्क्रैप से किया गया था। तांबे के तार की छड़ें अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अधिसूचनाओं के तहत छूट/रियायत का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दावा खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए दावा स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि छूट जिस शर्त के अधीन थी कि जिस कच्चे माल से अंतिम उत्पाद का निर्माण किया गया था, उस पर शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। तांबे का स्क्रैप, खुले बाज़ार से खरीदा गया था और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वह शुल्क का भुगतान किया गया था; और कारण बताओ नोटिस वर्गीकरण दाखिल करने के 16 महीने बाद जारी किया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. जब तक उपयोग किए गए स्क्रैप और अपशिष्ट को यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि वे शुल्क भुगतान किए गए सामान हैं, तब तक यह नहीं माना जा सकता है कि वे ऐसा हैं, खासकर जब यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उपयोग किए गए सभी स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थ शुल्क भुगतान किए गए सामान के अधीन थे। पहले उत्पाद शुल्क के लिए अपशिष्ट और स्क्रैप पर शुल्क तभी लगता था जब वह निर्मित उत्पाद हो, अन्यथा नहीं। छूट का उद्देश्य उत्पाद शुल्क के भुगतान के मामले में व्यापक प्रभाव से बचना था। [166-ई-एफ]

2. जहां तक सीमा का संबंध है, 25.3.1983 को अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्गीकरण सूची को मंजूरी नहीं दी गई थी और 23.7.1984 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अनुमोदन 15.9.1984 को ही प्रदान किया गया था। चूंकि वर्गीकरण सूची का कोई अनुमोदन नहीं था और कोई अंतिम मूल्यांकन नहीं था, मामले की परिस्थितियों में, सीमा की बाधा केवल अंतिम रूप देने की तारीख से ही लागू होगी।

सम्राट इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1992) 58 ईएलटी 561 और कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बड़ौदा बनाम कॉटस्पन लिमिटेड, (1999) 113 ईएलटी 353; अनुपयुक्त ठहराया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1997 की सिविल अपील संख्या 3504।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 8.1.97 से, जो कि एफ.ओ. क्रमांक 62/97-बी में ए. क्रमांक ई/3303/ 87-बीआई में पारित किया गया।

अपीलकर्ता की ओर से जोसेफ वेल्लापल्ली और राजेश कुमार।

प्रत्यर्थी की ओर से ए.के. गांगुली, एम.एस. निशा बागची, पी. मनीष और बी.के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू सीजे द्वारा सुनाया गया।

अपीलकर्ता (1) कॉपर स्क्रैप और कॉपर वायर बार्स से टैरिफ आइटम नंबर 26 ए (2) के तहत आने वाली कॉपर शीट्स और सर्कल्स, (ii) कॉपर वायर बार्स, कॉपर वायर रॉड्स और कास्टिंग जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं। टैरिफ आइटम 26ए(एलए) के तहत आने वाले, और (iii) पुराने कॉपर स्क्रैप और कॉपर वायर बार के स्क्रैप से टैरिफ आइटम 26ए(1) के तहत आने वाले कॉपर स्लैब और बिलेट्स के निमार्ण मे लगा हुआ है।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वे टैरिफ आइटम 26ए (2) के तहत आने वाले उत्पाद कॉपर शीट्स और सर्कल के लिए संशोधित अधिसूचना संख्या 74/65-सीई दिनांक 1.5.1965 के तहत सी छूट और अधिसूचना संख्या के तहत छूट का दावा करने के हकदार हैं। 119/66-

सीई दिनांक 16.7.1966 को टैरिफ आइटम 26ए(एलए) के अंतर्गत आने वाले कॉपर वायर बार्स, कॉपर वायर रॉड्स और कास्टिंग्स जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं और इसके वर्गीकरण में टैरिफ आइटम 26ए(1) के अंतर्गत आने वाले कॉपर स्लैब और बिलेट्स के लिए संशोधित किया गया है। प्रासंगिक अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित कच्चे माल का उपयोग करते हुए दिनांक 25.3.1983 की सूची। निर्णायक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और सीईजीएटी ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावे को स्वीकार नहीं किया। हमारे सामने जो तर्क रखा गया है वह यह है कि दिनांक 19.8.1980 की अधिसूचना में टैरिफ आइटम 26ए(2) के अंतर्गत आने वाले किसी भी रूप या आकार में तांबे, यानी प्लेट, शीट, सर्कल, स्ट्रिप्स और फ़ॉइल के निर्माता को छूट दी गई है। जिसके निर्माण में किसी भी रूप में तांबे का उपयोग किया जाता है और वर्जिन तांबे या मिश्र धातु की तांबे की सामग्री पर, को उत्पाद शुल्क की निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है या रुपये की दर से निर्धारित शुल्क का भुगतान किया गया माना जाता है।

अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

संबंधित अधिसूचनाओं के तहत मांगी गई छूट/रियायत के उनके दावे स्वीकार नहीं किए जा सकते। अपीलकर्ता का तर्क है कि यह नोटिस वर्गीकरण दाखिल करने के सोलह महीने बाद जारी किया गया है।

ट्रिब्यूनल ने विचार किया कि छूट इस शर्त के अधीन है कि जिस कच्चे माल से अंतिम उत्पाद का निर्माण किया जाता है, उस पर शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए, या तो कच्चे माल पर शुल्क के ऐसे भुगतान का प्रमाण उचित होना चाहिए या एक डीमिंग आदेश होना चाहिए। ऐसे कच्चे माल को शुल्क भुगतान के रूप में माना जाता है।

अपीलकर्ता का दावा है कि स्क्रैप खुले बाजार से खरीदा गया था और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि इस पर शुल्क का भुगतान किया गया है, सहायक कलेक्टर ने यह विचार किया कि उत्पादों का निर्माण खुले बाजार में खरीदे गए स्क्रैप से किया गया है। जिनके लिए कोई शुल्क भुगतान दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया है, इन उत्पादों पर छूट नहीं दी जा सकती है। अपशिष्ट और स्क्रैप पर शुल्क केवल तभी लगाया जाता था जब वह निर्मित उत्पाद हो और अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के तहत शुल्क योग्य होता था। सभी अपशिष्ट और स्क्रैप न तो निर्मित उत्पाद हैं और न ही उत्पाद शुल्क योग्य हैं और इस आधार पर यह माना जाता है कि अपीलकर्ता प्रासंगिक अधिसूचनाओं के लाभ का हकदार नहीं है। हमारा मानना है कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अनुचित नहीं माना जा सकता है। जब तक स्क्रैप और अपशिष्ट ऐसे सामान नहीं हैं जिनका उपयोग किया गया था, तब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि वे शुल्क भुगतान किए गए सामान हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि वे

ऐसा हैं, खासकर जब यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि उपयोग किए गए सभी स्क्रैप और अपशिष्ट सामग्री शुल्क भुगतान के अधीन हैं।

एलफिंस्टन मेटल रोलिंग मिल्स सीसीई (राजेंद्र बाबू, सीआई)

मामले में सीमा की रोक केवल वर्गीकरण के ए को अंतिम रूप देने की तारीख से लागू होगी और हमें नहीं लगता कि सम्राट इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, (1992) मामले में अपीलकर्ता द्वारा लिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है। 58 ईएलटी 561 या कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बड़ौदा बनाम कॉटस्पन लिमिटेड, (1999) 113 ईएलटी 353 में मामले के वर्तमान तथ्यों पर कोई आवेदन है।

अतः अपील खारिज की जाती है।

आर.पी. अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अक्षि कंसल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।